


बिहार सरकार  
सामान्य प्रशासन विभाग  
अधिसूचना

पटना-15, दिनांक : 28 अप्रैल, 2017

संख्या-1/एल0-67/1995-सा0प्र0-5169/श्रीमती हरजोत कौर बम्हारा, भा0प्र0से0(92), खान आयुक्त-सह-प्रधान सचिव, खान एवं भू-तत्व विभाग, बिहार, पटना {अतिरिक्त प्रभार- प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड, पटना) को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली, 1955 के नियम-18 (डी)(1) के तहत धारित पदों का प्रभार त्यागने की तिथि से 180 दिनों का शिशु पोषण अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. श्रीमती हरजोत कौर बम्हारा की आलोच्य छुट्टी की अवधि में श्री अतुल प्रसाद, भा0प्र0से0(87)-(विभागीय अधिसूचना संख्या-5166 दिनांक 28.04.2017 द्वारा प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग के पद पर पदस्थापन हेतु अधिसूचित पदाधिकारी) अपने कार्यों के अतिरिक्त खान आयुक्त-सह-प्रधान सचिव, खान एवं भू-तत्व विभाग, बिहार, पटना एवं प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड, पटना के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे।


बिहार राज्यपाल के आदेश से,

  
28/4/17  
(कन्हैया लाल साह)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:-1/एल0-67/1995-सा0प्र0-5169/पटना-15, दिनांक: 28 अप्रैल, 2017

प्रतिलिपि:- उप सचिव, ई0 गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशित करने के अनुरोध के साथ प्रेषित/ महालेखाकार(ले. एवं ह.), बिहार वीरचन्द पटेल पथ, पटना/ राज्यपाल के प्रधान सचिव, बिहार, पटना/ मुख्य मंत्री, बिहार के प्रधान सचिव, मुख्य मंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/ मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/ संबंधित पदाधिकारी/ सामान्य प्रशासन विभाग (प्रशाखा-1 एवं 6) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
28/4/17  
(कन्हैया लाल साह)

सरकार के अवर सचिव।